Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

[Supply Revision Case No.- 130/2024]

Purnima Kumari ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others ....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.7.2025	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं० -09/2023 में दिनांक-15.1.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। समाहर्त्ता, अररिया की ओर से जवाब दाखिल है। दिनांक-02.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। आवेदिका की ओर से Written note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner पूर्णिमा कुमारी (PDS dealer) द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरते जाने, खाद्यान्न गबन एवं कालाबाजारी के आरोपों के संदर्भ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अररिया के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक-01.11.2022 से Petitioner के PDS अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष दायर आपूर्ति अपील वाद सं०-09/2023 में Petitioner द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि Petitioner द्वारा P.D.S. दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। Petitioner के स्तर से P.D.S. दुकान संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 में निहित प्रावधानों तथा P.D.S. अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन किया गया है। Petitioner द्वारा वाद पत्र में किये जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिये कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश(15.1.2024) विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। यह विदित होता है कि Petitioner का P.D.S. अनुज्ञप्ति सं०- 13A/2018 है जबकि निम्न न्यायालय के आदेशों में 66A/2016 अंकित है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को क्षांत करते हुए आदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालयों तथा इस न्यायालय में पारित आदेश P.D.S. अनुज्ञप्ति सं०- 13A/2018 पर लागू होगा। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया